

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठारीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 84 / 2022

उन्वान

1. मेसर्स अशोक जैन एच.यु.एफ. जरिये कर्ता अशोक जैन पिता श्री कुन्दनगल जैन नि०  
शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाडा(राज)
2. श्री गेरू पिता श्री परशू गुर्जर नि० विलियाकलां तह० हमीरगढ।
3. श्री सोदान पिता श्री वंशी दरोगा नि० विलियाकलां तह० हमीरगढ।
4. श्री गोपाल पिता श्री वंशी दरोगा नि० विलियाकलां तह० हमीरगढ।
5. श्री पीसु पिता श्री वंशी दरोगा नि० विलियाकलां तह० हमीरगढ।
6. गीता पुत्री श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
7. गोटिया पुत्री श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
8. देवीलाल पुत्र श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
9. रतनी पुत्री श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
10. सुरेश पुत्र श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
11. हगामी पत्नी श्री माधु गुर्जर नि० खैराबाद तह० हमीरगढ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 15.11.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बिलियाकलां प.ह. बिलियाकलां भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 365 की कृषि भूमि की आ०न० 112 रकबा 0.3288 है०, आ०न० 113 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 114 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 115 रकबा 0.4679 है०, आ०न० 1822/48 रकबा 0.1770 है०, आ०न० 1823/58 रकबा 0.1518 है० आ०न० 1824/83 रकबा 0.1897 है०, कुल किता 07 कुल रकबा 1.5934 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 एवं 11 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम बिलियाकलां प.ह. बिलियाकलां भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 365 की कृषि भूमि की आ०न० 112 रकबा 0.3288 है०, आ०न० 113 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 114 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 115 रकबा 0.4679 है०, आ०न० 1822/48 रकबा 0.1770 है०, आ०न० 1823/58 रकबा 0.1518 है० आ०न० 1824/83 रकबा 0.1897 है०, कुल किता 07 कुल रकबा 1.5934 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 700/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

